संख्या-195/2023/1630/22-2-2022-17(156)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 30 अप्रैल,2023*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजेन्द्र गिरि पुत्र श्री छिद्दा गिरि, निवासी जनपद-बरेली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-14703/प्रोबे-5-दया0बैठक-16-03-2022 दिनांक-09-05-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजेन्द्र गिरि पुत्र श्री छिद्दा गिरि, जो मुल्लानी, थाना-जहांगीराबाद, जनपद-बरेली वर्तमान मो0-टीचर कालोनी, कस्बा व थाना-मीरगंज, जनपद-बरेली का रहने वाला है। बंदी द्वारा दिनांक-31-10-1992 को 17 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर, सरकारी रायफल, रिवाल्वर, ए0के0 47 से गोली मारकर जसबिन्दर उर्फ जस्सा नामक व्यक्ति की हत्या की गई। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-01/2002 में भा0द0वि0 की धारा-120बी0/364, 302/34 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0, कोर्ट नं0-1 गाजियाबाद के आदेश दिनांक-29-03-2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 29.10.2021 तक 09 वर्ष, 07 माह, 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष, 09 माह, 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की उम्र 69 वर्ष होने, अपरिहार 09 वर्ष, 07 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष, 09 माह, 11 दिन की भोगी गयी सजा एवं कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बंदी राजेन्द्र गिरि (बन्दी संख्या-47249) पुत्र श्री छिद्दा गिरि, निवासी जनपद-बरेली की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपर्युक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-195/2023/1630/22-2-2022 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।
2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।